



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-26/2018-1180 दिनांक : 18/9/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल/ पाकुड़ वन प्रमण्डल/  
दुमका वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/  
सिमडेगा वन प्रमण्डल/ सारण्डा वन प्रमण्डल/ पोड़ाहाट वन प्रमण्डल

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण वृक्षारोपण कार्य हेतु रु0 1381.986 (तेरह करोड़ एकासी लाख अनठानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-38/2018-18/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.07.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-38/2018-65/आ0 व0प0 दिनांक 03.08.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 1381.986 (तेरह करोड़ एकासी लाख अनठानवे हजार छः सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796400103	887.089
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796400323	494.897
कुल :-		1381.986

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2, स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796400103 एवं 19S240601796400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत स्थल का घनत्व खुले वन/ सामान्य वनों की श्रेणी में आता है एवं स्वीकृत स्थल इस कार्यालय के पत्रांक 641 दिनांक 30.05.2018 द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप है। कार्य करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography कारवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि के करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे० लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।

6. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन



योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

10. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया

जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो०ब०-26/2018- 1180 दिनांक- 18/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ राँची/ गुमला/ चाईबासा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

1180  
ज्ञापांक- 01/यो०ब०-26/2018- 1180 दिनांक- 18/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ पाकुड़/ दुमका/ साहेबगंज/ गुमला/ सिमडेगा/ चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			23738.00	13243.14	36981.14
दुमका रीजन					
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल	300	71.214	39.729 ✓	110.943
2	पाकुड़ वन प्रमण्डल	600	142.428	79.459 ✓	221.887
3	दुमका वन प्रमण्डल	800	189.904	105.945 ✓	295.849
4	साहेबगंज वन प्रमण्डल	464	110.144	61.448 ✓	171.592
योग:-		2164	513.690	286.581	800.271
राँची रीजन					
1	गुमला वन प्रमण्डल	373	88.543	49.397	137.940
2	सिमडेगा वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
योग:-		773	183.495	102.370	285.865
जमशेदपुर रीजन					
1	सारण्डा वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
2	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल	400	94.952	52.973	147.925
योग:-		800	189.904	105.946	295.850
सकल योग:-		3737	887.089	494.897	1381.986

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,  
झारखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण  
(Open Forest (10-40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

237.38

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	712.14	0.00	712.14	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	15	3560.70	0.00	3560.70	
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच/पत्थर घेरान अथवा झाड़ी घेरान (i) ट्रेंच घेरान— ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी०, गहराई 1.22 मी०, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान— ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी०, ऊँचाई 1.00 मी० (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे० औसतन 6 चैन	12	2848.56	11782.74	14631.30	प्रति हे० ट्रेंच घेरान 6 चैन का प्रावधान है किन्तु स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हे० (संरखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	20	4747.60	0.00	4747.60	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य — कंदूर ट्रेंच — अधिकतम 50 कंदूर, साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	9495.20	500.00	9995.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंदूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंदूर ट्रेन्च के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे०	6	1424.28	0.00	1424.28	
7	स्थायी पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।	220	2	474.76	960.40	1435.16	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
8	बनों की सुरक्षा		2.00	474.76	0.00	474.76	
	योग—		100.00	23738.00	13243.14	36981.14	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोगना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
दुमका रीजन:-									
1	जामताड़ा वन प्रमण्डल	कुण्डहित	कुण्डहित		बोगियारा	कुण्डहित- 4	N 24 <sup>0</sup> 02.624" E 087 <sup>0</sup> 07.542"	1034, 260, 725, 708, 1087	50
					गायसारा	कुण्डहित-19	N 24 <sup>0</sup> 02.462" E 087 <sup>0</sup> 07.331"	3, 54, 596, 602	50
					मुड़ाबेड़िया	बागडेहरी- 34	N 23 <sup>0</sup> 51.11" E 087 <sup>0</sup> 14.7"	31 / ए, 263, 264, 1682, 1749, 1778, 1916, 1973, 1993, 1996, 2034, 2070, 2051, 2063, 2135, 2173	70
		फतेहपुर		पथराबाद	धसनियां- 13	N 24 <sup>0</sup> 05.264" E 087 <sup>0</sup> 05.323"	1, 2, 3, 20, 48, 49, 51	20	
				बोराबाद	धसनियां- 22	N 24 <sup>0</sup> 68.395" E 087 <sup>0</sup> 09.389"	5, 226, 592, 793	25	
				आसनबेड़िया	धसनियां- 28	N 24 <sup>0</sup> 03.816" E 087 <sup>0</sup> 02.189"	398, 460, 618, 763, 765, 1186, 1201, 1204, 1236, 1238, 1239, 1240, 1241, 1264, 1271	25	
				मकरन्दा	धसनियां- 48	N 24 <sup>0</sup> 00.355" E 087 <sup>0</sup> 05.620"	847, 893, 697, 798	30	
नाला	नाला	अफजलपुर- 5	N 23 <sup>0</sup> 49.777" E 087 <sup>0</sup> 05.552"	1, 228, 444, 526, 608	30				
योग:-									300
2	पाकुड़ वन प्रमण्डल	हिरणपुर वन प्रक्षेत्र	हिरणपुर		दलदली	हिरणपुर- 81		814, 812, 643, 1097	10
					सुगाडीह	हिरणपुर- 29		273	17
					रणबहियार	लिट्टीपाड़ा- 19		118, 42, 304, 270	20



क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
					जोरडीहा	सिमलौग-01		808, 531, 522, 515	60
					बाँसभीट्टा	सिमलौग- 08		207	13
					अमरभीट्टा	सिमलौग- 07		104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117	70
					छोटाघघरी	सिमलौग- 19		494, 503, 500, 109, 7	35
					बेहड़ा	सिमलौग- 18		90	50
					डमरू	सिमलौग- 23		4, 30, 157, 148, 191, 53, 420, 402, 454, 425	25
		आमड़ापाड़ा	आमड़ापाड़ा		अमीरजोला	आमड़ापाड़ा- 14		1	35
					बड़ाबाँघकोई	आलूबेड़ा - 07		204, 198, 199	85
					जराकी	आमड़ापाड़ा- 11		28, 06, 615, 824, 860, 1304, 555, 829	50
					पकलो	डुमरवीर- 20		401, 402, 183, 390, 396	30
					पचुवाड़ा	आलूबेड़ा - 31		1206, 911	100
योग:-									
3	दुमका वन प्रमंडल	हिजला पूर्वी प्रक्षेत्र, दुमका	रानेश्वर		भूसकीपहाड़ी	धनवासा- 21		72, 102, 370, 556, 719, 981, 1219	60
					आलूबेड़ा	धनवासा- 25		281, 378	70
			शिकारीपाड़ा		हिरापुर- चित्राकुण्डी	बाँसपहाड़ी- 13		8, 28, 659	70
			दुमका		चिरुडीह	मसानजोर- 31		719	40
		दुमका दामिन प्रक्षेत्र, काटीकुंड	काटीकुंड		आसनपहाड़ी	काटीकुण्ड- 21		335 /P, 370, 497	25
					गन्धर्व	काटीकुण्ड- 24		2, 667 / p	21
					गड़ियापानी	गोपीकान्दर- 15		661	12
					भुसकीडंगाल	गोपीकान्दर- 14		240, 329	13
			गोपीकान्दर		दुबराजपुर	गोपीकान्दर- 12		4, 172, 215, 101, 124, 168	30
					कटवीडंगाल	गोपीकान्दर- 11		25	25
					झरियापानी	गोपीकान्दर- 09		53	35



क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
					चिचरो	सलदाहा- 12		2, 361, 402, 272	50
			काठीकुण्ड		कन्हाईडीह	सलदाहा- 15		635, 637	29
					मझला सरुवापानी	नारगंज- 55		48, 56, 152, 221 / p. 280 / p. 321 / p	70
		हिजला पश्चिमी प्रक्षेत्र	मसलिया		जामबाद	सपचला- 04		5, 222, 187, 129, 298, 422, 441, 451,	125
					फुटवेरिया	गोडमाला- 28		3, 84, 100, 163, 355, 434, 442, 499,	125
योग:-									
4	साहेबगंज वन प्रमंडल	बड़हरवा, दामिन प्रक्षेत्र, बड़हरवा	बरहेट		बड़ा दलदली	बरहेट- 46		1157, 1149	20
		सकरोगढ़ दामिन प्रक्षेत्र, साहेबगंज	बोरिया		बड़ा चौदवासी	बोरियो- 45		222 / पी०	120
		माण्डरो दामिन प्रक्षेत्र, माण्डरो	बोरिया		बिरबलकान्दर	बोरियो- 24		229, 254, 346	100
			माण्डरो		झिरिकभीठा	माण्डरो- 36		65, 112, 122, 154, 192	25
			माण्डरो		पहाड़पुर	माण्डरो- 01		01, 123, 289	50
			माण्डरो		सुगनी पहाड़	माण्डरो- 34		24, 83, 89, 121, 139	25
		राजमहल दामिन प्रक्षेत्र, तालझारी	तालझारी		फुलजोरी	महाराजपुर- 11		100, 30, 62	85
			तालझारी		चमदी पहाड़	वृन्दावन- 15		12, 96, 99, 107, 112, 115, 118, 119, 125, 163	39
योग:-									
दुमका रीजन का योग :-									
राँची रीजन:-									
2	गुमला वन प्रमंडल	गुमला प्रक्षेत्र			पहाड़ांगव	सिसई- 141	N22° 05'52" E084° 52'31"	130, 2060, 2054, 2055, 284, 165, 2056, 60, 195, 24, 1, 204	50
					लोण्डरा	सिसई- 143	N23° 06'37" E084° 51'31"	1937, 1941, 1985, 1940, 2059, 2061, 2060, 1988, 1989, 1990, 2012, 2055,	80
					बम्बियारी	बसिया- 49	N22° 50'58" E084° 50'57"		75

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
					अरेया	बसिया- 133	N22° 48' 34.8" E084° 48' 43.4"		39
					कोनबीर	बसिया- 129	N22° 50' 01.4" E084° 48' 33.3"		29
		कुरुमगढ़ वन क्षेत्र	रायडीह		बमलकैरा	59	N22° 46' 07" E084° 22' 31"	2076, 1344, 856	100
योग:-									
					कनजोबा	कुरुडेग- 30	N22° 33' 19.2" E84° 12' 02.1"	2820, 4299	50
		कुरुडेग	कुरुडेग		बड़कीबिउरा	कुरुडेग- 02	N22° 36' 21.4" E84° 04' 21.4"	1318, 701, 317	50
					ढोढी	कुरुडेग- 16	N22° 37' 02.98" E84° 08' 45.43"	1153, 1244	50
					सरंगापानी	कोलेबिरा- 120	N22° 42' 32.05" E84° 88' 44.77"	9, 1120	58
		कोलेबिरा	कोलेबिरा		टेंसेरा	कोलेबिरा- 93	N22° 40' 13.36" E84° 39' 38.78"	2524, 2546, 564	50
3	सिमडेगा वन प्रमण्डल				भंवरपानी	सिमडेगा- 70	N22° 37' 30" E84° 33' 25"	1, 36, 775, 1324, 1135, 269, 228, 1124, 503	47
		सिमडेगा	सिमडेगा		बीरु	सिमडेगा- 58	N22° 41' 33.6" E84° 33' 62.5"	1142, 1342, 1098, 11077	35
					कोबांग	पाकरटांड- 29	N22° 42' 39.72" E84° 23' 22.62"	2568, 2565, 1761, 1770, 2419, 2669	60
योग:-									
रॉची रीजन का योग :-									400
									773



क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	
जमशेदपुर रीजन:-										
1	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	सामता प्रक्षेत्र			सामता आर०एफ०-12, 13	मनोहरपुर- 58			100	
		कोयना प्रक्षेत्र			धोबिल पी०एफ०- 23	मनोहरपुर- 35			100	
					रबंगदा पी०एफ०- 11	मनोहरपुर- 65			100	
		गुवा प्रक्षेत्र			घाटकुडी आर०एफ०- 30					100
योग:-										400
2	पोड़ाहाट वन प्रमण्डल	सोंगरा	बन्दगाँव		सोंगरा- 22	टेबो			50	
		केरा	बन्दगाँव		रंजड़ाकोचा	चक्रधरपुर / 64			50	
		केरा	चक्रधरपुर		बाण्डीजाहिर	चक्रधरपुर 414			50	
		कुन्दुरुगुहू	सोनुवा		बेरा- 33 आर०एफ	सोनुवा			50	
		बेरा	गोईलकेरा		बेरा- 36	गोईलकेरा			50	
		बेरा	गुदडी		बेरा- 16	गोईलकेरा			50	
		आनन्दपुर	मनाहरपुर		धानापाली	मनोहरपुर- 102			50	
		आनन्दपुर	मनाहरपुर		समीज	मनोहरपुर- 164			50	
योग:-										400
जमशेदपुर रीजन का योग :-										800
कुल योग :-										3737

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-26/2018/1180

दिनांक - 18-Sep-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	56429	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	7,121,400.00 रुपये इकड़त्तर लाख इक्कीस हजार चार सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	56430	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	14,242,800.00 रुपये एक करोड़ बयालीस लाख बयालीस हजार आठ सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	56431	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	18,990,400.00 रुपये एक करोड़ नवासी लाख नब्बे हजार चार सौ
	State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			

योग:

40,354,600.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड़ तीन लाख बीपन हजार छः सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF DEWA DHANKAN (S) RANCHI



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56432	SBJFOR001  MANISH KUMAR TIWARY  DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	11,014,400.00  रुपये एक करोड दस लाख चौदह हजार चार सौ
5	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56433	GMLFOR001  SRIKANT  D.F.O. GUMLA	8,854,300.00  रुपये अट्यासी लाख चौपन हजार तीन सौ
6	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56434	SDGFOR002  PRAWESH AGRAWAL  DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	9,495,200.00  रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ

योग:

29,363,900.00

क्रमिक योग:

रुपये छः करोड सित्तानवे लाख अठारह हजार पांच सौ

69,718,500.00

*(Signature)*  
(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF DEBARKHANA BRANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56435	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ
8	S 19 240601796400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56436	SGHFOR003 SRI SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	9,495,200.00 रुपये चौरानवे लाख पिनचानवे हजार दो सौ
9	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56437	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	3,972,900.00 रुपये उनचालीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ

योग:

22,963,300.00

क्रमिक योग:

रुपये नौ करोड छब्बीस लाख इक्कयासी हजार आठ सौ

92,681,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF DEBANGHARANS RANCHI



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56438	PKRFOR001  PREMJIT ANAND  DIVISIONAL FOREST OFFICER	7,945,900.00  रुपये उन्नासी लाख पैंतालीस हजार नौ सौ
11	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56439	DMKFOR010  ABHISHEK KUMAR  D.F.O.DUMKA	10,594,500.00  रुपये एक करोड पॉंच लाख चौरानवे हजार पॉंच सौ
12	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56440	SBJFOR001  MANISH KUMAR TIWARY  DIV.FOR.OFF SAHIBG NJ	6,144,800.00  रुपये इकसठ लाख सवालीस हजार आठ सौ

योग:

24,685,200.00

क्रमिक योग:

रुपये ग्यारह करोड तीहत्तर लाख सड़सठ हजार

117,367,000.00

  
(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D.D.(HARGHANS) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56441	GMLFOR001  SRIKANT  D.F.O. GUMLA	4,939,700.00  रुपये उनचास लाख उनचासीस हजार सात सौ
14	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56442	SDGFOR002  PRAWESH AGRAWAL  DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	5,297,300.00  रुपये बावन लाख सिल्लानवे हजार तीन सौ
15	S 19 240601796400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	56443	SGHFOR011  SRI RAJNEESH KUMAR  D.F.O. SARANDA FOREST DIV. IFS	5,297,300.00  रुपये बावन लाख सिल्लानवे हजार तीन सौ

योग:

15,534,300.00

क्रमिक योग:

रुपये तेरह करोड उन्तीस लाख एक हजार तीन सौ


132,901,300.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. B. J. H. S. (RANCHI)



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796400323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme  State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0346) Central Scheme : NA	56444	SGHFOR003  SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	5,297,300.00  रुपये बावन लाख सित्तानवे हजार तीन सौ



योग: 5,297,300.00

क्रमिक योग: रुपये तेरह करोड इक्क्यासी लाख अठानवे हजार छः सौ 138,198,600.00

*(Signature)*  
(SHRI SATNAM SINGH)  
PCCF DIHAR (RANCHI)